सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

## पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 26/2018 अपील
पंजीयन दिनांक – 05.03.2018
निर्णय दिनांक – 26.03.2018

1. श्री रामचन्द्र पिता गणपतलाल जी सुथार, निवासी बोराखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ (राज.)
2. श्री शोभगमल पिता गणपतलाल जी सुथार, निवासी बोराखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ (राज.)
3. श्री जमनालाल पिता गणपतलाल जी सुथार, निवासी बोराखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ (राज.)

– अपीलान्टस्

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ (राज0.)

रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ प्रकरण संख्या नील (शुद्धि पत्र) दिनांक 17.10.2013.

उपस्थितिः–

1. श्री सुनील शर्मा – वकील अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा – राज्य अभिभाषक

## निर्णय

दिनांक 26–03–2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चितौड़गढ़ दनांक 17.10.2013 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के ताऊ श्री नाथु पिता शंकर सुथार के नाजायज कब्जा 2 बीघा 19 बिस्वा जो सम्बवत् 2011 से 2027 तक चला आ रहा था। जो खसरा गिरदावरी में अंकन है। इस दौराने तहसीलदार निम्बाहेड़ा के यहां नाजायज कब्जे की कार्यवाही के दौरान मिसल संख्या 433/1971 द्वारा राजस्व ग्रम बोराखेड़ी पटवार हल्का बडोली माधोसिंह की आराजी नं. 520 में से 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि नियमन की गई। जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन नामान्तरकरण संख्या 208 में किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2028 से सम्वत् 2051 तक कथित भूमि 2 बीघा 19 लगान 1.25 दर्ज रही। त्रुटिवश सम्वत् 2052–2055 आं.न 696/52 में 0.19 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड होने से तहसीलदार निम्बाहेड़ा को अपीलान्ट संख्या 3 द्वारा शुद्धिकरण बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ. निरीक्षक (भू.अ.) क्षैत्र लसड़ावन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर शुद्धि पत्र स्वीकार किया जाकर तद्नुसार जमावंदी में अंकन किये जाने का आदेश दिनांक 31.05.2012 को शुद्धिपत्र पर दिया गया। तत्पश्चात् पुनः नवीन पदस्थापन तहसीलदार द्वारा लगभग 16 माह पश्चात पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक से शुद्धि पत्र पर नई रिपोर्ट प्राप्त कर तहसीलदार निम्बाहेडा ने पूर्व शुद्धि पत्र को निरस्त करने का आदेश शुद्धि पत्र पर दिनांक 17.10.2013 को पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 21.03.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील के तथ्यों को दौहरात हुए बताया कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलान्ट के ताऊजी नाथू पिता शंकर सुथार का कब्जा सम्वत् 2011 से 2027 तक खसरा गिरदावरी में 2 बीघा 19 बिस्वा पर लगातार चला आ रहा था, इसी कारण से उसके नियमन की कार्यवाही वर्ष 1971 से प्रारम्भ की गई तथा नियमन की पत्रावली कायम होने के पश्चात् दिनांक 04.12.1973 से आराजी नं. 520 में से 2 बीघा 19 बिस्वा नियमन किया गया, जिसका अमल राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 208 से खातेदरी में दर्ज करते हुए नवीन नम्बर 696/520 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा दर्ज किया जो सम्वत् 2028–2031 से निरन्तर चला आ रहा था, नामान्तरकरण संख्या 208 पर दर्ज नक्शा ट्रेस में भी रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा दर्शा रखा है। तत्पश्चात् नवीन रोटेशन (जमाबंदी) सम्वत् 2052–2055 की

जमाबंदी बनाते वक्त सहवन से त्रुटिवश मात्र 0.19 बिस्वा भूमि का अंकन कर दिया गया। जिसको अपीलान्ट के आवेदन पर बाद जांच रिपोर्ट शुद्धि करने के आदेश दिनांक 31.05.2012 दिये। उसके पश्चात् अपीलान्ट को बिना सुने/सूचित किये पुनः दिनांक 17.10.2013 को शुद्धि पत्र निरस्त करने का आदेश ा पारित कर दिया, जो वैधानिक प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह माना कि पटवारी हल्का द्वारा जॉच छाया प्रतियों से की गई, जबकि प्रार्थी द्वारा जिला अभिलेखागार एवं तहसील कार्यालय दोनो स्थानों से जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपीयॉ प्राप्त की जो एक समान ही थी तथा जिला अभिलेखागार चितौड़गढ़में रिकार्ड दिनांक 16.01.2001 को जमा करवाया गया, जिसमें किसी प्रकार से काट छांट की कोई संभावना नहीं रहती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2012 में ऐसी कोई त्रुटि नहीं थी, जो प्रथम दृष्ट्या आदेश को देखने से प्रतीत हो, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर जो आदेश दिनांक 17.10.2013 पारित किया है वह वैधानिक दृष्टि से काबिले निरस्त है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा आदेश दिनांक 31.05.2012 को रिव्यू करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया, रिव्यु को ''लिमिटेड स्कोप'' है तथा रिव्यू से स्वयं अपने आदेश ा को नहीं पलटा जा सकता है तथा 16 माह की लम्बी अवधि समाप्त होने के पश्चात जो आदेश पारित किया गया वह पूर्णतया अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2013 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पों. ने बहस के दौरान तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि विपरित होना माना है। तहसीलदार को पुनः रिव्यू शुद्धिपत्र पर आदेश ा करने का क्षैत्राधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय को शुद्धि पत्र रिव्यु करने से पूर्व प्रार्थी को सूचना पत्र दिया जाकर विधिवत कार्यवाही अमल में लानी चाहिये थी। जिससे तहसीलदार द्वारा पारित आदेश संदेहास्पद होना प्रतीत होता है। अन्त में यदि प्रकरण राज्यहित में है तो अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाने का कथन किया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। यह तथ्य निर्विवाद है कि तहसीलदार निम्बाहेड़ा स्वयं ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शुद्धिकरण के प्रार्थना पत्र पर पटवारी पटवार हल्का बड़ोली माधोसिंह एवं भू.अ.निरीक्षक लसड़ावन से रिपोर्ट ली जाकर एवं

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपियों के आधार पर दिनांक 31.05.2012 को आदेश पारित कर शुद्धि पत्र स्वीकार किया जाकर तद्नुसार जमाबंदी में अंकन करने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात् नवीन पदस्थापन तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा अवैधानिक तरीके से रिव्यु कर कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत छाया प्रतियों के आधार पर पूर्व तहसीलदार द्वारा शुद्धिकरण का आदेश दिनांक 31.05.2012 दिया गया है। जबकि अपीलान्ट ने तहसील कार्यालय निम्बाहेड़ा एवं जिला कार्यालय चितौड़ागढ़ (भू.अ.) शाखा से प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की गई है । पत्रावली में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित ज़मबंदियों एवं नियमन पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपी में आराजी नं. 520 में से रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा का नियमन किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने पुनः रिव्यु किन नियमों के तहत किया गया है जो स्पष्ट नहीं किया गया है। राज्य अभिभाषक ने भी अपने कथन में रिव्यु की, की गई कार्यवाही को संदेहास्पद माना है। ऐसी स्थिति में हम तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2013 को अपास्त कर तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2012 को बहाल रखा जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा पारित आदेश । दिनांक 17.10.2013 निरस्त किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व आदेश । दिनांक 31.05.2012 के अनुसार जमाबंदी में एवं नियमन आदेश । से पारित नामान्तरकरण संख्या 208 के साथ सलग्न नक्श ो अनुसार अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
'संभागीय आयुक्त
उदयपुर